कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14705/2019 उर्मिला कुलदीप बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती उर्मिला कुलदीप को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गए।

याचिकार्थी श्रीमती उर्मिला कुलदीप, प्रधानाचार्य को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरपुरा, बाप जिला जोधपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राघवा जिला जैसलमेर स्थानान्तरित किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती कुलदीप द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त याचिका दायर की गई।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह अभिकथन किया गया है कि उनके स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 में राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों दिनांक 01.06.2013 की पूर्णतया पालना नहीं की गई और पति–पत्नी प्रकरण होने के बावजूद उन्हें दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया। याचिकार्थी द्वारा स्वयं के विद्यालय एवं विद्यार्थी हित में किये गए कार्य यथा नामांकन वृद्धि, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम, जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किये जाने एवं अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन जोधपुर शहर अथवा आस–पास में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय, राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए हैं, के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों, पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता, शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। उक्त दिशा–निर्देशों में पति–पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रखे जाने सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था।

जहां तक याचिकार्थी द्वारा विद्यालय एवं विद्यार्थी हित में किये गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रश्न है तो उनके इस कार्य का समुचित सदुपयोग जैसलमेर जैसे शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे जिले में भी किया जाना अत्यावश्यक है ताकि नामांकन वृद्धि एवं परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार हो सके। याचिकार्थी राज्य सेवा की राजपत्रित स्तर की अधिकारी हैं और सरकार अथवा विभागध्यक्ष द्वारा उन्हें राज्य हित/विद्यार्थी हित, विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। याचिकार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी किया जा चुका है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती उर्मिला कुलदीप, प्रधानाचार्य राउमावि राघवा जैसलमेर द्वारा पदस्थापन स्थान संशोधन हेतु की गई मांग उचित नहीं होने के कारण अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/उर्मिला कुलदीप/14705/2020 दिनांकः 10.07.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर/जोधपुर।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जैसलमेर/जोधपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती उर्मिला कुलदीप, प्रधानाचार्य को सूचनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)